भारत-थाईलैण्ड प्रत्यर्पण सन्धि

1150. **श्री राजूभाई ए. परमार:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि है कि भारत और थाईलैण्ड के बीच अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने, नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और कैदियों के प्रत्यर्पण में परस्पर सहयोग हेतु प्रत्यर्पण संधि करने पर सहमति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को रोकने के लिए दोनों देशों ने क्या उपाय सुझाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) और (ख) भारत और थाईलैण्ड फिलहाल एक प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने पर विचार कर रहे हैं; जिसका ब्यौरा करार सम्पन्न होने के पश्चात ही उपलब्ध होगा।

(ग) प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने की इच्छा के अतिरिक्त दोनों सरकारों ने आतंकवाद को रोकने, अवैध दवाइयों की तस्करी इत्यादि को समाप्त करने में सहयोग का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त भारत और थाइलैण्ड अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य और संधियों के हस्ताक्षरकर्ता हैं जिनका उद्देश्य अवांछनीय गतिविधियों को भड़काने वाले तत्वों को रोकना है।

Armed Clashes Between Border Security Force and the Local Population along West Bengal Bangladesh Border

1151. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of incidents in the last five years involving armed clashes between the Border Security Force and the local population along the West Bengal-Bangladesh boarder;

(b) whether allegations have been received that, in several instances such clashes have been instigated by BSF personnel who have themselves indulged in smuggling; and

(c) whether liaison committees between local panchayat bodies and representatives of the BSF are beign contemplated in order to reduce the frequency of such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) The number of such incidents is as under:—

1991	—	08 cases
1992	—	14 cases
1993	—	12 cases
1994	—	12 cases
1995	—	11 cases
1996(upto 30 June)	—	08 cases

(b) There is, however, no case where BSF personnel involved in smuggling had instigated clashes.

(c) There are no such formal liaison committees. BSF have, however, been maintaining close liaison with the civilians and local administration.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन

1152. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का निर्णय वर्ष 1989 में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की गई और उसे कब क्रियाशील किया गया;

(ग) इस प्राधिकरण में कितने सदस्य हैं और इसे कुल कितनी पूंजी उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) इस प्राधिकरण को सौंपे गए दायित्वों और अब तक प्राप्त की गई इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) पूर्ण-कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ प्राधिकरण ने फरवरी, 1995 में कार्य करना शुरू किया।

(ग) इस समय, अध्यक्ष के अतिरिक्त, तीन सदस्य और दो सदस्य (अंश-कालिक) हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए बजट आवंटन नीचे दर्शाया गया है:-

	लाख रु.
1994–95	300.00
1995–96	300.00

(ख) इस प्राधिकरण को आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में ए डी बी 111 परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर